



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-01082026-275088
CG-CG-E-01082026-275088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4022]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948

No. 4022]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

बिलासपुर, 29 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4192(अ).— केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 23 मार्च 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का आ. 1572 (अ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत परियोजना झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेण्डारोड-अनुपपुर और रायपुर-लखौली के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु निर्माण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20. (क) की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् नवभारत हिंदी (बिलासपुर संस्करण), दैनिक भास्कर बिलासपुर (हिंदी) एवं टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) में तारीख 09.04.2026 को प्रकाशित कर दिया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) कि उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) कि उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत परियोजन "झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा- गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर - पेंडारोड - अनूपपुर और रायपुर-लखौली के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 X 25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु निर्माण परियोजना है, बिलासपुर जिले के लिए अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

जिला का नाम - बिलासपुर

तहसील - बिलासपुर

भूमि का प्रकार- निजी भूमि

क्रमांक	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नं	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का स्वामी का नाम
1	बिलासपुर	तिफरा	999 में से	पड़त	0.1174	सौरभ सिंधु पिता वीरसेन सिंधू
2	बिलासपुर	तिफरा	1484 में से	पड़त	0.0440	रामलाल प्रजापति पिता सोहनलाल
3	बिलासपुर	तिफरा	1002/1 में से	पड़त	0.0640	रामलाल प्रजापति पिता सोहनलाल
			योग		0.2254	

जिला का नाम - बिलासपुर

तहसील - बिलासपुर

भूमि का प्रकार- शासकीय भूमि

क्रमांक	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नं	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का स्वामी का नाम
1	बिलासपुर	तिफरा	1486 में से	—	0.1340	शासकीय भूमि
2	बिलासपुर	तिफरा	1483 में से	—	0.0240	शासकीय भूमि
3	बिलासपुर	तिफरा	1480 में से	—	0.0050	शासकीय भूमि

4	बिलासपुर	तिफरा	1485 में से	—	0.1010	शासकीय भूमि
	योग				0.2640	

कुल योग — 0.4894 हेक्टेयर

[फा. सं. सीपीएम/इले/ बीएसपी /2x25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./2026/20ई/2362]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

CORRIGENDUM

Bilaspur, the 29th July, 2026

NOTICE UNDER SECTION 20 E of THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 4192(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 1572 (E), dated 23rd March 2026 the published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), and issued under sub- section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely "for Up-gradation of existing 1x25KV Traction system to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa-Gevra Road, Champa-Bilaspur. Tilda-Bilaspur. Tilda-Durg. Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lokholi section over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of odisha, Chhattisgarh and Maharashtra Over SEC Railway.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Navbharat Hindi (Bilaspur Edition). Dainik Bhaskar Bilaspur (Hindi), Times of India (English) of dated 09-04-2026, under sub-section (4) of section 20A of the said Act,

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely "for Up-gradation of existing 1x25KV Traction system to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa-Gevra Road, Champa-Bilaspur. Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Loholi section in Bilaspur District in the state of Chhattisgarh.

District :- Bilaspur

Tehsil :- Bilaspur

Type of land:- Niji

S.N.	Tehsil	Name of Village	Khasra Number	Type of land	Acquired Area in Hectare	Name of land owner
1	Bilaspur	Tifra	999 me se	Padat	0.1174	Saurabh sindhu S/o veersen sindhu
2	Bilaspur	Tifra	1484 me se	Padat	0.0440	Ramlal Prajapati S/o Sohanlal
3	Bilaspur	Tifra	1002/1 me se	Padat	0.0640	Ramlal Prajapati S/o Sohanlal
	Total				0.2254	

Name of District :- Bilaspur

Tehsil :- Bilaspur

Type of land:- Government land

S.N.	Tehsil	Name of Village	Khasra Number	Type of land	Acquired Area in Hectare	Name of land owner
1	Bilaspur	Tifra	1486 me se	-	0.1340	Government Land
2	Bilaspur	Tifra	1483 me se	-	0.0240	Government Land
3	Bilaspur	Tifra	1480 me se	-	0.0050	Government Land
4	Bilaspur	Tifra	1485 me se	-	0.1010	Government Land
	Total				0.2640	

Grand Total: **0.4894** Hectare

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 E/2362]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Construction)